भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2751
दिनांक 19.12. 2023/ 28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

भवनों में आग लगने की दुर्घनाएं

†2751. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश भर में ऊंची इमारतों में आग लगने की कई दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2019 से अब तक देश भर में आवासीय और व्यावसायिक भवनों में आग लगने की दुर्घटनाओं के कारण राज्य-वार कितने लोगों की मौत हुई है;

(ग) आवासीय और व्यावसायिक भवनों में आग से सुरक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भवन निर्माता/डेवलपर्स द्वारा सुरक्षित और विश्वसनीय परियोजनाओं का निर्माण करने में विफल रहने की स्थिति में उन पर लगाए जाने वाले आपराधिक प्रतिबंधों, यदि कोई हों, सहित अन्य प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): अग्निशमन सेवा राज्य का एक विषय है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ब) के तहत बारहवीं अनुसूची में निगम कार्यों के रूप में शामिल किया गया है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेजदारी है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आग के खतरे से लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए विभिन्न अपेक्षित कदम उठाएं। केंद्र सरकार राज्यों में अग्नि दुर्घटनाओं/घटनाओं से संबंधित कोई भी डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपनियमों/नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के क्षेत्राधिकार में है।

महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड), गृह मंत्रालय, स्थायी अग्नि सलाहकार परिषद (एसएफएसी) के माध्यम से एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित अग्निशमन सेवा अधिनियमों/नियमों में अग्नि सुरक्षा उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए समय-समय पर सलाह जारी की जाती है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 2751 दिनांक 19.12.2023

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 जारी किया गया था, जिसमें अग्नि सुरक्षा के लिए मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने वाले "अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं" पर एक अध्याय -11 शामिल है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को उनके संबंधित अग्निशमन सेवा नियमों / विनियमों में उपयुक्त संशोधन के लिए "राज्य के लिए अग्नि और आपातकालीन सेवा के अनुरक्षण के प्रावधान के लिए एक मॉडल बिल" दिनांक 16.09.2019 को परिचालित किया था।

केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए दिनांक 04.07.2023 को 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण" के लिए एक योजना भी शुरू की है।

***